न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 182/2025 **दायर तारीख 16.09.2025**

अनवान

1. अमिता देराश्री पुत्री स्व0 नन्दकिशोर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।
2. अंजिता देराश्री पुत्री स्व0 नन्दकिशोर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

............प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 01. श्री सुनील जोशी – अधिवक्ता प्रार्थीगण।
02. पैरोकार सरकार।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय :–

दिनांक 12/11/2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की मौजा ग्राम आंट पटवार हल्का रेसुन्दा में स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 122 पर अंकित आराजी नम्बर 73, 74 कुल किता 2 रकबा 1.0684 हैक्टेयर भूमि में लिपिकीय भुल को सुधार कर प्रार्थीगण के नाम अमिना तथा अजिता के बयाज **क्रमशः अमिता तथा अंजिता** दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड को सुधारने के आदेश विपक्षी को प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2022/1760 दिनांक 27.10.2025 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम आंट पटवार हल्का रेसुन्दा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता सं0 122 पर अंकित आराजी नम्बर 73, 74 कुल किता 2 रकबा 1.0684 हैक्टेयर पर 1. अजिता पुत्री नन्दकिशोर 1/6 जाति ब्राह्मण व 2. अमीना पुत्री नन्दकिशोर 1/6 जाति ब्राह्मण दर्ज रेकार्ड हैं। संलग्न दस्तावेज आधारकार्ड अनुसार प्रार्थीगण का नाम अंजिता पुत्री नन्दकिशोर व अमिता पुत्री नन्दकिशोर हैं। मौके पर उपस्थित मौतविरान ने भी बताया की प्रार्थीगण का सही नाम अंजिता व अमिता ही हैं एवं मौतविरान ने बताया कि प्रार्थीगण का नाम अजिता के बजाय अंजिता व अमीना के बजाय अमिता किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः उक्तानुसार रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जो शामिल पत्रावली हैं।

निरन्तर पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम आंट प0ह0 रेसुन्दा सम्वत् 2074 से 2077, आधारकार्ड अमिता एवं अंजिता की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के अनुसार मौजा ग्राम आंट पटवार हल्का रेसुन्दा स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 122 पर अंकित आराजी नम्बर 73, 74 कुल किता 2 रकबा 1.0684 हैक्टेयर भूमि में लिपिकीय भुल को सुधार कर प्रार्थीगण के नाम अमिना तथा अजिता के बयाज **क्रमशः अमिता तथा अंजिता** दर्ज राजस्व रेकॉर्ड में करवाना चाहा हैं एवं पैराकार सरकार ने उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में जवाब प्रस्तुत किया हैं।

पैरोकार सरकार स्वयं ने अपने उक्त जवाब में अंकित किया कि मौजा ग्राम आंट पटवार हल्का रेसुन्दा स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 122 पर अंकित आराजी नम्बर 73, 74 कुल किता 2 रकबा 1.0684 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का सही नाम अंजिता व अमिता हैं। अतः प्रार्थीगण का नाम अजिता के बजाय अंजिता व अमीना के बजाय अमिता किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैरोकार सरकार के जवाब एवं दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम आंट पटवार हल्का रेसुन्दा स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 122 पर अंकित आराजी नम्बर 73, 74 कुल किता 2 रकबा 1.0684 हैक्टेयर भूमि में प्राथीगण का नाम अजिता के स्थान पर अंजिता व अमीना के स्थान पर अमिता किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 12 / 11 /2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां